



संख्या-189/2026/2126/सैंतीस-2-2026/001-1(3)/2023-1761290

प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-11 सितम्बर, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों हेतु निष्प्रयोज्य वाहन का प्रतिस्थापन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1140/उ.नि.क्षे./लेखा-2-639/वाहन क्रय/नई मांग/23-24, दिनांक-21.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-106-अन्य पशुधन विकास-04-प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों हेतु निष्प्रयोज्य वाहन का प्रतिस्थापन के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों के लिए O2 Bolero Model B2 BS6.2 Refresh के क्रय हेतु ₹0-14.22204 लाख (रूपये चौदह लाख बाईस हजार दो सौ चार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही वाहन का क्रय किया जायेगा।
4. प्रश्नगत क्रय वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,22,204 (रुपये चौदह लाख बाईस हजार दो सौ चार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403001060400 प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों हेतु निष्प्रयोज्य वाहन का प्रतिस्थापन मानक मद्द 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-126-X-2026-27, दिनांक-10 सितम्बर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

पू0सं0-189/2026/2126(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(3)/2023-1761290, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. उप निदेशक(प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।